

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा- 4(i) (बी) के संदर्भ में सूचना
11.08.2025 को अद्यतन किया गया

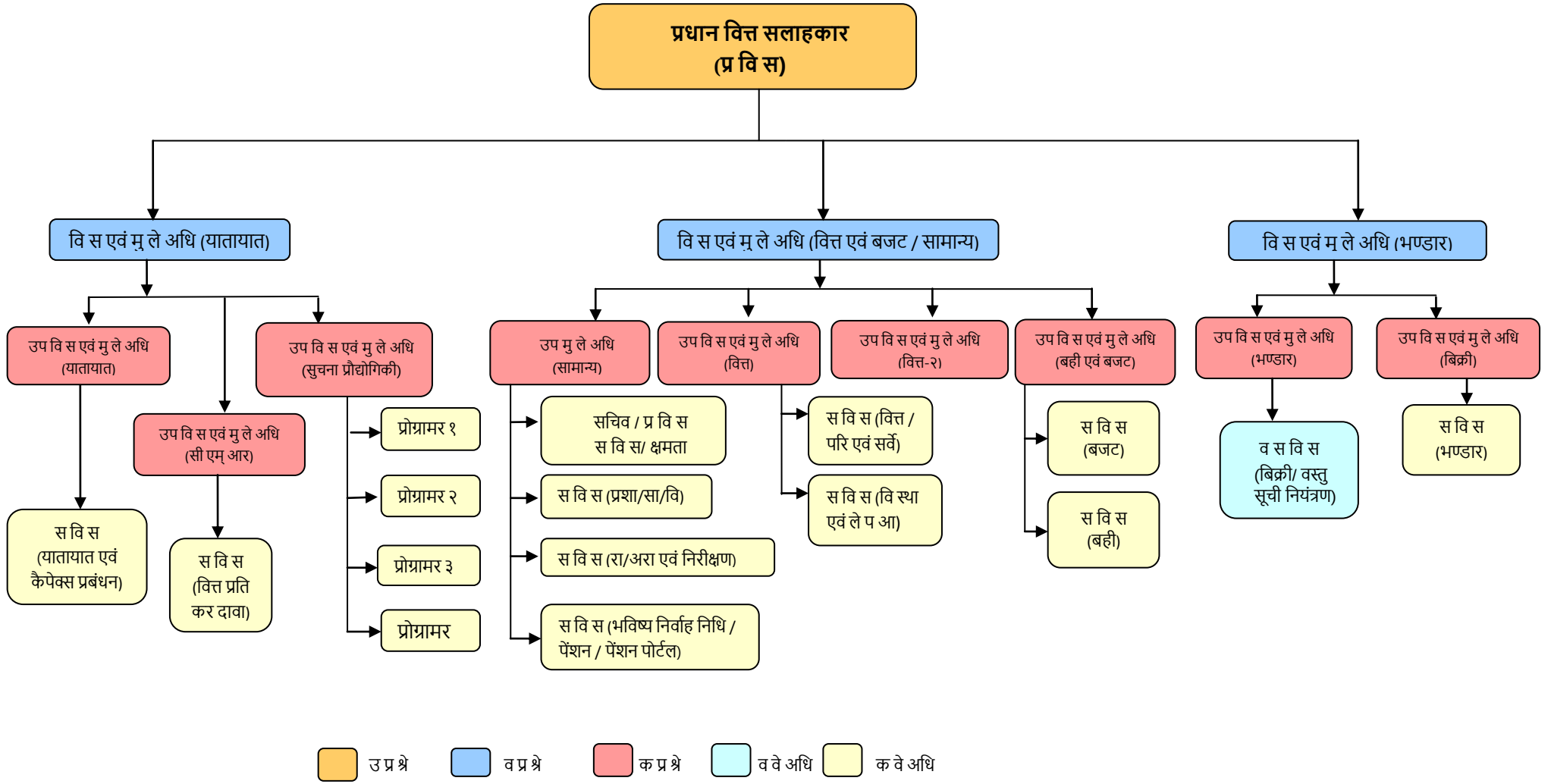
सद	विवरण	स्थिति
4(b) (i)	विभाग के गठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण	नीचे पृष्ठ 2 & 3 (चार्टर), पृष्ठ 4 (संगठन चार्ट)
4(b) (ii)	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	पृष्ठ 5 & 6
4(b) (iii)	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के तरीकों सहित निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;	कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न संहिताओं/मैन्युअलों में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।
4(b) (iv)	कार्यों के निर्वहन के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदंड	सामान्य प्रक्रियात्मक निर्देश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं। https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (v)	विभाग द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण के अधीन या इसके कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैन्युअल और अभिलेख	https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (vi)	विभाग द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण के अधीन मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण	https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377
4(b) (vii)	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए बनाई गई किसी भी व्यवस्था का विवरण	
4(b) (viii)	बोर्ड, परिषद, समिति और दो या दो से अधिक सदस्यों से बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं तथा क्या उन बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।	लागू नहीं सौंपा गया कार्य संहिता में निर्धारित नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाता है।
4(b) (ix)	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका ;	पृष्ठ 7
4(b) (x)	विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन और विनियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति का प्रावधान।	पृष्ठ 8--7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकारियों का पे लेवल
4(b) (xi)	विभाग से संबंधित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों की रिपोर्ट दर्शाई गई हो।	लागू नहीं - वेतन और अन्य कार्य-व्यय भारत की संचित निधि से लिए जाते हैं। योजनाओं का क्रियान्वयन लेखा विभाग के कार्यों/कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है।
4(b) (xii)	सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का व्यौरा शामिल है;	लागू नहीं - कोई सहायक कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जाता है।
4(b) (xiii)	विभाग द्वारा मंजूर रियायतें, परमिट अथवा प्राधिकार के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	लागू नहीं- कोई रियायत, परमिट या प्राधिकार देना संगठन के कार्यों/कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है।
4(b) (xiv)	इलेक्ट्रॉनिक रूप में संक्षिप्त की गई विभाग में उपलब्ध अथवा रखी गई सूचना के संबंध में पूर्ण विवरण	कोड और मैन्युअल भारतीय रेलवे की वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377 पर उपलब्ध हैं।
4(b) (xv)	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय, यदि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं, तो उनका कार्य समय भी शामिल है।	लागू नहीं - लेखा विभाग द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय नहीं चलाया जाता है।
4(b) (xvi)	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण	पृष्ठ 9
4(b) (xvii)	ऐसी अन्य सूचनाएं, जो निर्धारित की जाएं और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाए।	निविदाएं, प्रेस संबंधी, महत्वपूर्ण समाचार आदि से संबंधित जानकारी भी https://wr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी कार्यालय के कामकाज के लिए चार्टर (10.3.2.55 से लिया गया लेखा विभाग का चार्टर)

क्र.सं.	मद	सामान्य समय*	अधिकतम समय*	टिप्पणी
	एडीएम			
1	सांसद/विधानसभा सदस्य/सीए-iii संदर्भ	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समय अनुसूची के अनुसार		
2	अभ्यावेदन/शिकायतें	05 दिन	20 दिन	
	पेंशन			
3	पीपीओ जारी करना - सामान्य मामले	उसी महीने		
4	पीपीओ जारी करना - ओएनआर मामले	सामान्य मामलों के साथ अगले महीने		
5	पीपीओ का संशोधन	07 दिन	15 दिन	
6	पीपीओ का प्रतिहस्ताक्षर	03दिन	07 दिन	
7	जमा राशि जारी करना	03दिन	07 दिन	
	पीएफ			
8	पीएफ निकासी आवेदन	03दिन	05दिन	
9	पीएफ खाते का स्थानांतरण (एलपीसी प्राप्त होने के बाद)	15दिन	30दिन	
10	एनपीएस अपलोडिंग	03दिन	07 दिन	
	ईएक्सपी			
11	टीसी का स्थानांतरण	05दिन	07दिन	
12	बिल	03दिन	07 दिन	
	ईजी/ईएनजी			
13	स्थापना प्रस्ताव	03दिन	15दिन	
14	वेतन बिल	02दिन	05दिन	
15	वेतन बिल के अलावा	03दिन	07दिन	
16	देय और आहरित विवरण	03दिन	07दिन	
17	स्थानांतरण दस्तावेज़	20दिन	30दिन	
	वित्त			
18	वित्तीय प्रस्ताव	05 दिन	10 दिन	
19	संक्षिप्त नोट की जाँच	05 दिन	10 दिन	
20	निविदा	07 दिन	15 दिन	
21	परिवर्तन मामले	15 दिन	20 दिन	
22	लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	05 दिन	15 दिन	
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले	05दिन	07दिन	
24	पीडब्ल्यूपी/विधि पुस्तक प्रस्ताव	05दिन	07दिन	
25	पदों का सृजन/स्थानांतरण	03दिन	07 दिन	
26	प्रारूप पैरा की जाँच	05 दिन	10 दिन	
27	विविध स्थापना प्रस्ताव	03 दिन	05 दिन	
	खानपान			
28	खानपान संविदा प्रस्ताव	05 दिन	07दिन	
29	बिल पास करना	03 दिन	05दिन	
30	एसडी/ईएमडी जारी करना	03 दिन	05दिन	
	वित्तीय दावे			
31	मुआवज़ा दावा (आरसीटी)	03 दिन	05दिन	
32	कोचिंग का रिफंड	03 दिन	05दिन	
33	अपने वैगन बिलों का स्वामित्व	03 दिन	05दिन	
34	वाणिज्य प्रस्ताव	05 दिन	08 दिन	
	भंडार			
35	वित्तीय प्रस्ताव	03 दिन	10 दिन	
36	मात्रा जाँच	05 दिन	10 दिन	
37	निविदा	07 दिन	15 दिन	
38	निविदा सार जाँच	03 दिन	05 दिन	

39	संक्षिप्त नोट जाँच	03 दिन	05 दिन	
40	ईंधन बिलों को पास करना	03 दिन	07 दिन	
41	अग्रिम बिल	03 दिन	05 दिन	
42	आरओ बिल	05 दिन	07 दिन	
43	टीसी तैयार करना	04 दिन	06 दिन	
44	फंड/एक्स्ट्रेक्ट रजिस्टर का रखरखाव	05 दिन	06 दिन	
45	आपूर्ति आदेश की जाँच	03 दिन	05 दिन	

* शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर



लेखा विभाग के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) अधिकारियों की झूटी सूची - ओपन लाइन

पदनाम	झूटी का संक्षिप्त विवरण
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफ एंड वी/जी)	निम्न के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए नोडल विभागाध्यक्ष: • वित्त प्रस्ताव • बुक्स एवं वजट • लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा • एसपीवी एवं वीआर • सामान्य प्रशासन • स्थापना • विधि, निरीक्षण, व्यय और दक्षता। सिविल, यांत्रिक, चिकित्सा, बिजली, सिगनल एवं दूरसंचार और विविध विभाग (कार्य एवं सेवा निविदाएं) के लिए मौजूदा मानदंडों और प्रचलित सीमाओं के अनुसार निविदाओं में वित्त सदस्य। प्रमुख वित्त सलाहकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कोई अन्य कार्य/निविदाएं।
वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी (डब्ल्यू एंड एस/टी)	निम्न के समन्वय और पर्यवेक्षण हेतु नोडल विभागाध्यक्ष: • भंडार वित्त • मांगपत्रों की जाँच • कारखाना एवं भंडार लेखा • यातायात लेखा • यातायात लागत निर्धारण • दावा, खानपान और लेखा सहित यातायात वित्त • नकद एवं भुगतान विभाग और सांख्यिकी विभाग अहमदाबाद मंडल में चल रहे और नए गति-शक्ति कार्यों से संबंधित निविदाओं के लिए वित्त सदस्य के रूप में नामित। कारखाना, भंडार और यातायात लेखा विभाग (सभी भंडार निविदाएँ) के लिए मौजूदा मानदंडों और प्रचलित सीमाओं के अनुसार भंडार निविदा समिति और अन्य निविदाओं के वित्त सदस्य। कारखाना, भंडार और यातायात लेखा कार्यालय का समग्र पर्यवेक्षण। समय-समय पर प्रमुख वित्त सलाहकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य/निविदाएँ।

अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

1. निदेशक/जीएस (सिविल)-III, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/डब्ल्यू-1/जनरल/गति शक्ति (ई-3378115) दिनांक 22/08/2024 के अनुसार निर्माण वित्त अर्थात वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सी-II) चर्चगेट, जीएसयू द्वारा निष्पादित किए जाने वाले सभी नए कार्यों के लिए जीएसयू के लिए एसोसिएट वित्त होगा। तथापि अहमदाबाद मंडल की गति शक्ति इकाई (चल रहे और नए कार्यों) के लिए, महाप्रबंधक (ई) के पत्र संख्या ई9जी) 838/जीएसयू (334580) दिनांक 10/09/2024 के अनुसार सीनियर डीएफएम/अहमदाबाद एसोसिएट वित्त हैं।

2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सी-II) चर्चगेट, मुंबई सेंट्रल-वडोदरा-रतलाम -राजकोट और भावनगर मंडलों की गति-शक्ति इकाई से संबंधित सभी नए कार्यों के लिए नामित वित्त सदस्य हैं।

3. मुख्य लेखा अधिकारी/सी/अहमदाबाद से संबंधित निविदाओं के लिए वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/डब्ल्यू एंड एस का पूर्व नामांकन समाप्त कर दिया गया है। अब यह कार्य वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (सी-II) द्वारा किया जाएगा।

उप मुख्य लेखा अधिकारी (जी)		
क्र. सं.	पद	सेक्शन/प्रबंधित कार्य
1	सहा. वित्त सलाहकार (पीएफ/पेंशन) चर्चगेट	पीएफ/एनपीएस, पेंशन एवं पेंशन पोर्टल
2	सचिव/प्रमुख वित्त सलाहकार, सहा. वित्त सलाहकार (EXP, Effy.)	कराधान/जीएसटी, व्यय
3	सहा. वित्त सलाहकार (प्रशा./सा.) चर्चगेट	प्रशासन, सामान्य
4	सहा. वित्त सलाहकार (स्था. राजपत्रित) चर्चगेट	स्था. राजपत्रित एवं स्था. अराजपत्रित
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफ)		

1	सहा. वित्त सलाहकार (F/P&S) चर्चगेट	वित्त, परियोजना एवं सर्वेक्षण, ब्रिज
2	सहा. वित्त सलाहकार (एफई/एजे) चर्चगेट	वित्त स्था., लेखा परीक्षा आपत्ति
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (बुक्स एंड बजट)		
1	सहा. वित्त सलाहकार (बुक्स) चर्चगेट	बुक्स
2	सहा. वित्त सलाहकार (बजट) चर्चगेट	बजट
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (डब्ल्यू)		
1	वरि. सहा. वित्त सलाहकार (सेल्स/आईसी) चर्चगेट	इन्वेंटरी नियंत्रण, भंडार बजट, कारखाना समन्वय, आईएसए/एसवी सेक्शन, भंडार निविदा
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (भंडार)		
1	सहा. वित्त सलाहकार (भंडार) चर्चगेट	ईंधन बिल, ईंधन सस्पेंस, भंडार वित्त बिक्री सस्पेंस, एसवी ब्रांच, पूर्व-जांच, भंडार बिल, भंडार सस्पेंस, क्रय आदेशों की पूर्व-जांच
उप वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (आई टी)		
1	प्रोग्रामर-I	आईटी से संबंधित निविदा/संविदा, फंड रजिस्टर, आईटी केंद्र का पुस्तकालय प्रबंधन, लेखा परीक्षा निरीक्षण
2	प्रोग्रामर-II	एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर का अनुरक्षण: लोको विफलता संबंधी सूचना, रिकॉर्ड रूम, सेवा पत्रक अपलोड आदि। साइबर सुरक्षा डेटाबेस, एप्लिकेशन, वेब, एंटीवायरस सर्वर्स का रखरखाव
3	प्रोग्रामर-III	आई पास (स्थापना एवं पे रोल) आई पास (लेखा)
4	प्रोग्रामर-IV	कार्यालय प्रबंधन डीएससी प्रबंधन टीएमएस (पश्चिम रेलवे का यातायात लेखा)

अधिकारियों के संपर्क विवरण की सूची

OPEN LINE			
<u>क्रम संख्या</u>	<u>पद का नाम</u>	<u>कार्यालय</u>	<u>टेलीफोन नंबर</u>
1	प्रधान वित्तीय सलाहकार	22400	67622400
2	वि. स. एवं मु.ले अधि (वित एवं बजट/ सामान्य)	22402	67622402
3	वि. स. एवं मु.ले. अधि (यातायात)	22806	67622806
4	वि. स. एवं मु.ले अधि (कारखाना एवं भण्डार)	22401	67622401
5	उप मु.ले. अधि (सामान्य)	23238	67623238
6	उप वि स एवं मु ले अधि (भंडार)	22404	67622404
7	उप वि स एवं मु ले अधि / यातायात	22408	67622408
8	उप वि स एवं मु ले अधि / वित्त	22409	67622409
9	उप वि स एवं मु ले अधि / बही और बजट	22421	67622421
10	उप वि स एवं मु ले अधि (कारखाना)	23077	67623077
11	उप वि स एवं मु ले अधि / सीएमआर	23532	67623532
12	उप वि स एवं मु ले अधि / माहिती तं.	22735	67622735
13	स वि स (प्रशा/सा/वि)	22415	67622415
14	व्यक्तिगत सचिव-I/प्र वि स /चर्चगेट	22400	67622400
15	सचिव/ प्र वि स, स. वि. स. (क्षमता)	22405	67622405
16	व स वि स (बिक्री/ वस्तु सूची नियंत्रण)	22456	67622456
17	स. वि. स. (बजट)	22411	67622411
18	स. वि. स./ (रा /अरा / निरीक्षण)	22946	67622946
19	स. वि. स. (भंडार)	22420	67622420
20	स. वि. स. (भविष्य निधि, पेंशन, पेंशन पोर्टल)	22416	67622416
21	स. वि. स. (वि. स्था.और ले.आ.)	22419	67622419
22	स. वि. स. /या व सी एम /चर्चगेट	22418	67622418
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर			
1	उप वि स एवं मु ले अधि (माहिती तं.)	22735	67622735
2	प्रोग्रामर I	22737	67622737
3	प्रोग्रामर II	22736	67622736
4	प्रोग्रामर III	22735	67622735
5	प्रोग्रामर IV	--	--

7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकारियों का वेतन स्तर		
क्रम संख्या	पद का नाम	स्तर
1	प्रधान वित्तीय सलाहकार	15
2	वि. स. एवं मु.ले. अधि (यातायात)	15
3	वि. स. एवं मु.ले अधि (वित एवं बजट/ सामान्य)	14
4	वि. स. एवं मु.ले अधि (कारखाना एवं भण्डार / यातायात)	14
5	उप मु.ले. अधि (सामान्य)	13
6	उप वि स एवं मु ले अधि (निर्माण-I)	13
7	उप वि स एवं मु ले अधि (निर्माण-II)	13
8	उप वि स एवं मु ले अधि (सू. प्रौ.)	13
9	उप वि स एवं मु ले अधि (भंडार)	12
10	उप वि स एवं मु ले अधि (वित्त)	12
11	उप वि स एवं मु ले अधि (वित्त-II)	12
12	उप वि स एवं मु ले अधि (कारखाना)	12
13	उप वि स एवं मु ले अधि (बही और बजट)	12
14	व स वि स (बिक्री/ वस्तु सूची नियंत्रण)	11
15	स वि स (प्रशा/सा/वि)	10
16	सचिव/ प्र वि स, स. वि. स. (क्षमता)	10
17	स. वि. स./ (रा /अरा / निरीक्षण)	10
18	स. वि. स. (बजट)	10
19	स. वि. स. (भंडार)	10
20	स. वि. स. (भविष्य निधि, पेंशन, पेंशन पोर्टल)	10
21	स. वि. स. (बही)	9
22	स. वि. स. (परियोजना एवं सर्वेक्षण)	9
23	स. वि. स. (वि. स्था.और ले.आ.)	9
24	व्यक्तिगत सचिव-I/चर्चगेट	8
25	प्रोग्रामर I	8
26	प्रोग्रामर II	8
27	प्रोग्रामर III	8
28	प्रोग्रामर IV	8



THE OFFICE OF THE PRINCIPAL FINANCIAL ADVISOR , WESTERN RAILWAY, CHURCHGATE, MUMBAI - 400 020

No.ADM//IV/E261/RTIA Corr.

Date: 07.08.2025

To,
CAPIO
W.Rly
Churchgate,
Mumbai

Sub: Updation of details of RTI Personnel's of W.Rly on the WR website.

Ref: Your Office Letter no. G542/1/Website Updation/Computer No: 622289 dtd.02.04.2025

With reference to the above, and appointment of Appellate Authority for this department, the updated details of the RTI Personnel are as follows -

प. रे. - लेखा कार्यालय , चर्चगेट			
	अपीलीय अधिकारी	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी
नाम	श्री. अजीत कुमार रघुवंशी	श्री. जी . विश्वनाथन	श्री. मणिकंटन नायर
लिंग	पुरुष	पुरुष	पुरुष
पद	वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (वित्त और बजट / सामान्य)	उप मुख्य लेखाधिकारी (सामान्य)	सहायक वित्त सलाहकार (प्रशासन)
पत्ता	मुख्य वित्त सलाहकार कार्यालय , पश्चिम रेलवे, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, मंजिल ७ ,चर्चगेट, मुंबई		
पिन कोड	४०००२०		
दूरध्वनी क्र.: रेल्वे	०९०-२२४०२	०९०-२३२३८	०९०-२२४१५
दूरध्वनी क्र. :	६७६-२२४०२	६७६-२३२३८	६७६-२२४१५
मोबाइल	९००४४९०१०२	-	९००४४९०११९
ई मेल	facaog@wr.railnet.gov.in	dycaog@wr.railnet.gov.in	srafaadm@wr.railnet.gov.in

W.RLY.HQ - ACCOUNTS OFFICE, CHURCHGATE			
	Appellate Authority	CPIO(A/cs)	APIO(A/cs)
Name	Shri Ajeet Kumar Raghuvanshi	Shri G. Viswanathan	Shri Manikantan Nair
Gender	Male	Male	Male
Designation	Financial Advisor & Chief Accounts Officer (Finance & Budget/ General)	Dy. Chief Accounts Officer (General)	Asst. Financial Advisor (Adm)
Address	PFA's Office, Western Railway, Churchgate Station Bldg. 7 th Floor, Churchgate, Mumbai		
Pin Code	400020		
Phone: Railway	090-22402	090-23238	090-22415
Phone:	676-22402	676-23238	676-22415
Mobile	9004490102	-	9004490119
Email	facaog@wr.railnet.gov.in	dycaog@wr.railnet.gov.in	srafaadm@wr.railnet.gov.in
Eoffice Name	Ajeet Kumar Raghuvanshi	G Viswanathan	Manikantan Nair

Digitally Signed by
Manikantan Nair
Date: 07-08-2025 18:58:11
Reason: Approved
(Manikantan Nair)
AFA(Adm) & PIO(A/cs)